☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

सागर, दिनांक 05–04–2020

क्रमांक / 98 / स्टेनो / 2020

आदेश

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)
(पारित दिनांक 05–04–2020)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31–01–2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) को Public Health Emergency of International Concern होने से वैश्विक महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र0 एफ–10–02/2020/सत्रह/मेडी–2 दिनांक 07–03–2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है । वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) का प्रसार निरंतर बढ़ता जा रहा है, अतः उक्त संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टि से मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करती हूँ –

1– दिनांक 20–03–2020 के उपरांत सागर जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना ग्रामीण क्षेत्र में, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में, संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष अथवा मोबाइल से देना अनिवार्य होगा ।

2– ऐसा प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपने आपको अनिवार्यतः होम क्वारेंटाइन करेगा तथा इस आदेश दिनांक से 28 दिन की अवधि तक अपने घर से नहीं निकलेगा ।

3– इंदौर से दिनांक 20–03–2020 के पश्चात आया प्रत्येक व्यक्ति कोरोना कंट्रोल में स्थापित दूरभाष नं0 07582–242831 पर अपनी सूचना दर्ज करायेगा तथा रैपिड रिस्पोंस टीम के उनके घर पर भेंट करने पर स्वयँ को परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगा ।

4– उपर्युक्तानुसार होम क्वारेंटाइन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाये जाने पर उसके विरूद्ध भा0द0सं0 269, 270 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जावेगा ।

5– पुलिस अधीक्षक सागर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन करावें तथा प्रतिदिन थानों में दी गई जानकारी कोरोना कंट्रोल रूम को उपलब्ध करावें।

6– आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर/समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनिविस्तारक यंत्रों के माध्यम से एनाउसमेंट कराना सुनिश्चित करें ।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पीटकर मुनादी करवाना सुनिश्चित करें ।

चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना तामीली सम्यक् समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिशः कर, सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अतः द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं ।

COLLECTOR, SAGAR

Scanned with CamScanner

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा सागर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 03–05–2020 तक प्रभावशील रहेगा ।

उक्त आदेश का उल्लंघन भा0द0सं0 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा ।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सागर (म0प्र0)
COLLECTOR
SAGAR

पृ.क्रमांक / 98 / स्टेनो / 2020 सागर, दिनांक 05 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी / नगर दण्डाधिकारी सागर / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत जिला सागर / मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त) जिला सागर की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. प्रभारी अधिकारी कोरोना कंट्रोल रूम सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. स्टेनो टू–कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
11. उप संचालक / सहायक संचालक जिला सागर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सागर (म0प्र0)
COLLECTOR
SAGAR

The Collector And District Magistrate

Scanned with CamScanner